

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
प्रेस-विज्ञप्ति

स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-1010 (आ०चि०) दिनांक 03.08.2018 द्वारा अधिसूचित किया गया है कि सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-7169/2017 उमेश चन्द एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 13.12.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में मेडिकल कॉलेज ऑफ पेटेन्ट मेडिसीन, रजिस्टर्ड ऑफिस जगदेव नगर नियर, बाजार समिति, आरा-802301 स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार अथवा मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया या स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। अतः मेडिकल कॉलेज ऑफ पेटेन्ट मेडिसीन, रजिस्टर्ड ऑफिस जगदेव नगर, नियर बाजार समिति, आरा-802301 द्वारा प्रदान की गयी 812 छात्रों के Bachelor of Allopathypatent Medical Specialties (B.A.M.S) की उपाधि की वैधता नहीं रहने के कारण उक्त संस्थान द्वारा प्रदत्त उपाधि को रद्द किया गया है।


ह०/-
(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 16/सी1-11/2017-1016 (आ.चि.) पटना, दिनांक :- 03. 8. 2018

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को पाँच प्रतियों में सी०डी० सहित सूचनार्थ तथा अनुरोध है कि इस अधिसूचना को दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना, प्रशाखा-16 को भी उपलब्ध करायी जाय।

प्रतिलिपि :- विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव